बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
दूरभाष सं0– 0612–2535800

राज्य के मत्स्य पालकों के लिए विशेष योजना

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु निम्नांकित योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं:–

(क) जलाशय/नदियों में केज निर्माण कर मत्स्य पालन की योजनाः–

- राज्य में पहली बार जलाशयों/नदियों में केज निर्माण कर मत्स्य पालन करने की योजना प्रारम्भ की गई है। इन जलाशयों/नदियों में केज अधिष्ठापित कर इनमें अंगुलिकाओं का संचयन करते हुए इन्हें पालन मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाया जाएगा ताकि इनके मत्स्य उत्पादन क्षमता का सही उपयोग किया जा सके।
- केज का आकार 10'x20'x8' होगा तथा पूरा केज 14 गेज के पाईप का होगा। केज की इकाई लागत ₹0.50 लाख निर्धारित है जिसपर 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0.25 लाख एक बार ही सब्सिडी देय होगा जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि लाभूक के अंशदान अथवा बैंक ऋण से वहन होगा।

(ख) *Tilapia Nilotica* प्रजाति के मत्स्य पालन की योजना

- राज्य में पहली बार मछली की नई प्रजाति ***Tilapia Nilotica*** के पालन की योजना प्रारम्भ की गई है। ***Tilapia Nilotica*** के केवल नर प्रजाति के पालन की योजना है। प्रति हे0 इकाई लागत ₹ 2.82 लाख निर्धारित किया गया है।
- निर्धारित इकाई लागत में प्रति हे0 50000 मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु (प्रति अंगुलिका ₹2.00 की दर से) कुल ₹100000, प्रति हे0 250 कि0ग्र0 चूना के लिए (प्रति कि0ग्रा0 ₹5.00 की दर से) कुल ₹1250.00, प्रति हे0 5000 कि0ग्रा0 गोबर के लिए (प्रति कि0ग्रा0 ₹4.00 की दर से) कुल ₹2000, प्रति हे0 7000 कि0ग्रा0 मत्स्य आहार के लिए (प्रति कि0ग्रा0 ₹25.00 की दर से) कुल ₹175000 एवं दवाईओं तथा रसायन के लिए प्रति हे0 ₹5000 व्यय होगा।
- राज्य सरकार के द्वारा चयनित लाभूकों को इस योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1.41 लाख एक बार सब्सिडी दिया जाएगा।

आवेदन का प्रपत्र

आवेदक का नाम :

पिता का नाम :

स्थायी पता :

संपर्क दूरभाष संख्या :

उपलब्ध जलक्षेत्र का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)

उपलब्ध जलक्षेत्र का लोकेशन :

प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त घोषणाएँ सही हैं तथा उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को विज्ञापन प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर सुनिश्चित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय अथवा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना से संपर्क करें।

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना

प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर